भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1085
उत्तर देने की तारीख 31 जुलाई, 2024
बुधवार, 9 श्रावण, 1946 (शक)

कौशल भारत मिशन

1085 श्री कपिल सिब्बल:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की कौशल योजनाओं के प्रत्येक चरण के तहत कितने व्यक्ति नामांकित, प्रशिक्षित, प्रमाणित और सफलतापूर्वक नौकरियों में नियोजित हुए है;

(ख) युवा कौशल कार्यक्रमों के परिणामों में अधिक स्थायित्व और निरंतरता लाने के लिए किन कार्यनीतियों पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार ने मुख्यधारा की शिक्षा को, विशेष रूप से कक्षा 8 के बाद स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को लक्षित करते हुए, कौशल निर्माण के साथ जोड़ने के लिए विशेष उपाय किए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस), के द्वारा कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल से लैस करके भविष्य के लिए तैयार करना है। पीएमकेवीवाई, जेएसएस और सीटीएस स्कीमों के तहत नामांकित, प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है:

स्कीम का नाम		नामांकित/संबद्ध/प्रविष्ट	प्रशिक्षित	प्रमाणित
पीएमकेवीवाई (प्रारंभन से 2024 तक)	**पीएमकेवीवाई 1.0**	19,86,016	19,86,016	14,51,636
	पीएमकेवीवाई 2.0	1,14,84,724	1,10,00,708	91,57,547
	पीएमकेवीवाई 3.0	7,94,976	7,37,502	5,09,553
	पीएमकेवीवाई 4.0	24,12,673	10,87,280	4,69,618
	योग	**1,66,78,389**	**1,48,11,506**	**1,15,88,354**
जेएसएस (2018-19 से जून 2024 तक)		26,67,372	26,38,028	25,93,642
सीटीएस (2018 to 2022)		65,10,956	62,55,071	41,61,894

एनएपीएस के तहत, शिक्षुओं को प्रतिष्ठानों द्वारा नियुक्त किया जाता है और प्रमाणन वैकल्पिक है। इस स्कीम के तहत 2018-19 से जून, 2024 के दौरान 29,92,367 शिक्षुओं को नियुक्त किया गया, जिनमें से 14,79,926 को प्रशिक्षित किया गया।

एमएसडीई की स्कीमों में, पहले तीन संस्करणों में पीएमकेवीवाई के एसटीटी घटक के तहत नियोजन को ट्रैक किया गया था, जो कि पीएमवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 है, जिसे वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक कार्यान्वित किया गया है। पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 में क्रमशः 2,53,296, 21,41,575 और 43,016 उम्मीदवारों को नियोजित किया गया। नियोजन को पीएमकेवीवाई 4.0 से पृथक कर दिया गया है, स्कीम का वर्तमान संस्करण वित्त वर्ष 2022-23 से कार्यान्वित किया जा रहा है।

ख) एमएसडीई ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बाजार की जरूरतों के अनुरूप बनाने और कौशल इकोसिस्टम में अधिक स्थायित्व और निरंतरता लाने के लिए निम्नलिखित विशेष कदम उठाए हैं:

i. एमएसडीई की स्कीमों के तहत पेश किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम बाजार की मांगों को ध्यान में रखते हुए उद्योगों के सहयोग से विकसित किए जाते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा संबंधित क्षेत्रों में उद्योग प्रमुखों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना की गई है, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल दक्षता मानकों को निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया है।

ii. उद्योग 4.0 की आवश्यकता के अनुसार भविष्य के लिए तैयार जॉब रोल्स, ड्रोन, कृत्रिम मेधा (एआई), रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स आदि जैसे उभरते क्षेत्रों को पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत प्राथमिकता दी गई है। सीटीएस के तहत भी उभरती प्रौद्योगिकियों में भविष्य के जॉब रोल्स की मांग को पूरा करने के लिए आधुनिक पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम और मानक स्थापित करने वाले एक व्यापक नियामक के रूप में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना की गई है।

iv. एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों से अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग की मांग के अनुसार अर्हताएं विकसित करें और उन्हें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार पहचाने गए व्यवसायों के साथ मैप करें और उद्योग से मान्यता प्राप्त करें।

v. प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) फ्लेक्सी एमओयू स्कीम और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को कार्यान्वित कर रहा है। इन पहलों का उद्देश्य आईटीआई छात्रों को औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

vi. राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) से जुड़े पाठ्यक्रमों में ऑन जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) और रोजगारपरक कौशल के घटक भी होते हैं।

vii. डीजीटी ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग संपर्क सुनिश्चित करने के लिए आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क (पूर्ववर्ती क्रेस्ट अलायंस), अमेज़न वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी टेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

viii. एनएसडीसी, बाजार आधारित कार्यक्रम के तहत, प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है जो उद्योग की मांग के साथ कौशल पाठ्यक्रमों का सहयोग करता और इसे संरेखित करता हैं।

ix. एनएपीएस के तहत, शिक्षुता प्रशिक्षण और शिक्षुता कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ संपर्क बढ़ाने को बढ़ावा दिया जाता है।

x. भारत सरकार ने इन देशों में मांग के साथ कौशल को संरेखित करने के लिए दस देशों अर्थात यू.के., फ्रांस, जर्मनी, इज़राइल, ताइवान, ऑस्ट्रिया, मॉरीशस, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और फिनलैंड के साथ प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

xi. भारत सरकार ने विदेशों में कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करने के लिए 30 स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है।

(ग) एनईपी 2020 में सभी शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल करने की सिफारिश की गई है। समग्र शिक्षा स्कीम के व्यावसायिक शिक्षा घटक के अंतर्गत, पात्र स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। माध्यमिक स्तर पर, अर्थात कक्षा 9 और 10 में, छात्रों को अतिरिक्त विषय के रूप में व्यावसायिक मॉड्यूल प्रदान किए जाते हैं। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर, अर्थात कक्षा 11 और 12 में, व्यावसायिक पाठ्यक्रम अनिवार्य (वैकल्पिक) विषय के रूप में पेश किए जाते हैं। संचार कौशल, स्व-प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमशीलता कौशल और हरित कौशल से युक्त रोजगार कौशल को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है। समग्र शिक्षा स्कीम के व्यावसायिक शिक्षा घटक का उद्देश्य छात्रों की रोजगारपरकता और उद्यमशीलता क्षमताओं को बढ़ाना; कार्य वातावरण के बारे में जानकारी प्रदान करना; तथा विभिन्न कैरियर विकल्पों के बारे में छात्रों में जागरूकता पैदा करना है ताकि वे अपनी अर्हता, क्षमता और आकांक्षाओं के अनुसार चुनाव करने में सक्षम हो सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसरण में विकसित स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा ने व्यावसायिक शिक्षा के दृष्टिकोण के उद्देश्य निर्धारित किए हैं। इनमें से एक उद्देश्य यह है कि सभी छात्रों के लिए व्यावसायिक क्षमता, ज्ञान और प्रासंगिक मूल्य विकसित किए जाएंगे और अगर वे चाहें तो, इससे उनके स्कूली शिक्षा के बाद कार्यबल में शामिल होने की संभावना पैदा होगी।

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से देश भर में कौशल विकास के सभी प्रयासों का समन्वय कर रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0) को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सहयोग से स्कूलों के माध्यम से भी कार्यान्वित किया जा रहा है। पीएमकेवीवाई का लाभ 15-59 वर्ष के आयु वर्ग के सभी लोगों को मिलता है, जिसमें स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले लोग भी शामिल हैं। जेएसएस के अंतर्गत, लक्षित समूह 15-45 वर्ष आयु वर्ग के निरक्षर, नव-साक्षर, 8वीं तक की प्राथमिक शिक्षा वाले व्यक्ति और 12वीं कक्षा तक स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले लोग हैं। आईटीआई में प्रवेश के लिए योग्यता ट्रेड के अनुसार अलग-अलग होती है, और इसमें ट्रेड के आधार पर कक्षा 8वीं पास, कक्षा 10वीं पास और कक्षा 12वीं पास शामिल हैं। एनएपीएस के तहत, स्कूल पास आउट (कक्षा 5वीं - कक्षा 9वीं; कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं) शिक्षा के स्तर से जुड़ी निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका राशि के साथ शिक्षु के रूप में नियुक्त होने के पात्र हैं।
